



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- 740 / 12-1 देहरादून: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/53193/2020)।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/५५/२०२२/एफ०सी०/६४४ दिनांक ०४.०८.२०२२

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक ०४.०८.२०२२ के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक ८८२/१२-१ (२) दिनांक २६.०९.२०२३ द्वारा विन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The locations of all the villages to be benefited by the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the State Govt. is requested to mark the locations of the concern villages in the KML file and upload the same in the online portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट I के सैक्शन सी० में अपलोड कर लिया गया है।
2	In the geo-referenced map, the existing roads of Kalika-Dalmoti MR and Tanwari- Baisolti MR are available at both the ends of the proposed road. In view of the fact the purpose of the proposed alignment is not clear because there is no habitation in between these two ends. The concerned DFO is requested to visit the site and comment on the requirement of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग से ग्राम बटुलिया के ३२ परिवारों की १०९ जनसंख्या एवं ग्राम दलमोटी के ४६ परिवारों की १८७ जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बन जाने से लाभान्वित होगी।
3	It is seen that, the bridal path is available all along the proposed alignment which is not been examined as an alternate alignment. The State Govt. is requested to submit the examination report/comment on the same.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु उस मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। वैकल्पिक मार्ग की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
4	The State Govt. is requested to find out the width of the existing bridle path. It's seen that, in the initial half portion the proposed road is almost parallel to the existing path and if required, the same may be widened instead of constructing a new road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु इस मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है।
5	The State Govt is requested to submit the propose tree enumeration list for 7m width. Further, tree enumeration for the area proposed for muck dumping shall also be submitted separately.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की ७ मी० चौड़ाई में गणना सूची

		पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के विन्दु सं0 50 में अपलोड कर ली गयी है।
6	As per the DSS analysis of CA area 2.0 hectare area is found MDF out of total 4.42 ha area. The State Govt. is requested to revisit the area for its suitability and the concerned DFO must ensure that the area proposed CA is suitable for raising plantation and shall have vegetation density below 0.4. If required, this 2.0 ha area can also be replaced with some other suitable area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयनित कर लिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के विन्दु सं0 51 में अपलोड कर ली गयी है।
7	The villages located at both the end of the proposed road are already well connected. There is no necessity of the proposed road. Further, the road affects 246 trees. The State Govt. is requested to justify the necessity of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मार्ग के दोनों छोर मोटर मार्ग से जुड़े हुये हैं, किन्तु उनके बीच में पड़ने वाले ग्राम बटुलिया के 32 परिवारों की 109 जनसंख्या एवं ग्राम दलमोटी के 46 परिवारों की 187 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बन जाने से लाभान्वित होगी। उक्त क्षेत्र में फल, सब्जी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है किन्तु उक्त क्षेत्र में मोटर मार्ग नहीं होने से ग्रामवासियों को अपने उत्पाद सिर वोझ या घोड़े खच्चरों की मदद से बाजार पहुँचाते हैं, जिससे अत्यधिक लागत आती है। यह मार्ग जनहित में बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।
8	The total forest involved and the numbers of trees affected in the proposed as well as the alternative alignment are also not provided. The State Govt. is requested to ensure that the User agency shall provide the details to alternative alignments.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग 6.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृत है। किन्तु उक्त ग्राम चारों ओर वन भूमि से घिरे हैं जिस कारण मार्ग को 4.00 कि०मी० ही प्रस्तावित किया गया ताकि अनावश्यक रूप से वृक्ष एवं वन भूमि को नुकसान न पहुँचे। उक्त ग्रामों को संयोजकता दिये जाने हेतु अन्य कोई उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग उपयुक्त नहीं पाया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र) 17/10

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 740 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।